अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

(आयकर)

का.आ. 1437(अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियम 12ड़ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 143 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतदद्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ अथवा धारा 139 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई विविरणियों के संबंध में अथवा उक्त अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी नोटिस की प्रतिक्रिया में सहायक आयकर आयुक्त/उपायुक्त आयकर (एनएएफएसी) के उक्त अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किए जाने के प्रयोजनार्थ दिल्ली में अपना मुख्यालय रखते हुए विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगी ।

[अधिसूचना सं. 25/2021/फा. सं. 187/3/2020-आईटीए-I]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक